



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222755
CG-DL-E-27102020-222755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3382]
No. 3382]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/ कार्तिक 4, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/ KARTIKA 4, 1942

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3813(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को दिनांक 06.11.2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा इस पद पर उनके कार्य करते रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है:-

अनुसूची

1.	श्री रजित रंजन ओखण्डियार सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु]	अधिनियम की धारा 4(3) के) ख (अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित]
----	--	---

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

संजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3813(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of under mentioned person to serve as member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 06.11.2020 or till he holds the office, whichever is earlier subject to the provisions of the Act:

SCHEDULE

1.	Shri Rajit Ranjan Okhandiar, Member Secretary, Central Silk Board, Bengaluru.	Nominated by the Central Government under Section 4(3) (b) of the Act.
----	---	--

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3814(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के नामांकन को अधिसूचित करती है :-

क्र. सं.	नाम	अधिनियम की धारा
1.	टम्ट.प. श्री. वेंकादा प्रिया, आईएएस निदेशक, रेशम उत्पादन, तमिलनाडु सरकार, सलेम-636007	अधिनियम की धारा 4(3)(ड) के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर नामित
2.	श्री गौतम सिंह, आईएएस, आयुक्त रेशम उत्पादन, रेशम निदेशालय मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3814(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948(61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following persons to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name	Section of the Act
1	Tmt. P. Sri Venkata Priya, IAS Director of Sericulture, Govt. of Tamil Nadu, Salem-636007	Nominated on the recommendation of Govt. of Tamil Nadu under Section 4(3) (e) of the Act.
2	Shri Gautam Singh, IAS, Commissioner of Sericulture, Directorate of Sericulture, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal	Nominated on the recommendation of Govt. of Madhya Pradesh under Section 4(3) (g) of the Act

[F. No. 25011/17/2019-Silk]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.